

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1 (52)एमई/ग्रुप-1/83 पार्ट

जयपुर, दिनांक 16.09.2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. मुकेश कुमार मीणा, जिनकी जन्मतिथि 01-10-1981 है तथा मेरिट क्रमांक आर-7/अनुसूचित जनजाति है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. मीणा का पदस्थापन मेडिकल कालेज, जयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव,समन्वय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(60)भर्ती/गोपनीय/2008-09/170 दिनांक 12.07.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, ।
6. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. मुकेश कुमार मीणा द्वारा श्री मोहरसिंह मीणा, आदर्श नगर, कॉलेज रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,समन्वय

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1 (52)एमई/ग्रुप-1/83 पार्ट

जयपुर, दिनांक 16.09.2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. मोहम्मद शादाब गौरी जिनकी जन्मतिथि 19-10-1984 है एवं मेरिट संख्या आर-2/सामान्य है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. गौरी का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव,समन्वय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(60)भर्ती/गोपनीय/2008-09/170 दिनांक 12.07.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. डॉ. मोहम्मद शादाब गौरी,छोटा बाजार, चरखी के कुएं के पास, बूंदी (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,समन्वय

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1 (52)एमई/ग्रुप-1/83 पार्ट

जयपुर, दिनांक 16.09.2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. मनोज कुमार गुप्ता जिनकी जन्मतिथि 19-02-1974 है एवं मेरिट संख्या आर-1/सामान्य है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. गुप्ता का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।

आज्ञा से,



शासन उप सचिव,समन्वय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(60)भर्ती/गोपनीय/2008-09/170 दिनांक 12.07.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बीकानेर।
6. डॉ. मनोज कुमार गुप्ता, 90/81, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव,समन्वय

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1 (52)एमई/ग्रुप-1/83 पार्ट

जयपुर, दिनांक 16.09.2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. सुधाकर शर्मा जिनकी जन्मतिथि 19-12-1983 है एवं मेरिट संख्या आर-3/सामान्य है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. सुधाकर का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आज्ञा से,



शासन उप सचिव, समन्वय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(60)भर्ती/गोपनीय/2008-09/170 दिनांक 12.07.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. डॉ. सुधाकर शर्मा, 32/406, के.वी.-6 के पास, सेक्टर-3, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव, समन्वय